प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0।
2– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, पुरूष/महिला चिकित्सालय, उ0 प्र0।
4–प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर/एस0एन0 मेडिकल कालेज चिकित्सालय, आगरा/बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर/एम0एल0बी0चिकित्सालय,झाँसी/एस0बी0पी0 चिकित्सालय, मेरठ/एस0आर0एन0 चिकित्सालय, इलाहाबाद/जी0एस0वी0एम0 चिकित्सालय, कानपुर।
5–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, के0पी0एम0 चिकि0, कानपुर/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद/एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय, इलाहाबाद/डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय, लखनऊ/आर0एम0एल0 चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ/टी0बी0 क्लीनिक, ठाकुर गंज, लखनऊ।
6–अधीक्षक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ ।
7–प्रमुख अधीक्षक, टी0बी0 चिकित्सालय (समस्त), उत्तर प्रदेश ।

पत्र संख्या–19फ/ 634–40 लखनऊः दिनांकः 31/01/2013.

विषय– नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों के स्थायी करण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त बिषक के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि महानिदेशालय के विज्ञप्ति संख्या–19फ/237–एन 46/6028, दिनांक 04–01–1994 को संदर्भित करने का कष्ट करें।

उक्त विज्ञप्ति के आधार पर नर्सिंग कर्मियों के स्थायी करण हेतु निम्न प्रकार आदेशित किया गया था।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली ,1979 के भाग छः नियुक्ति, 4 रिवोआ, स्थायी करण और ज्येष्ठता के प्रस्तर–19 तथा एवं 20 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक अनुभाग–1 के अधिसूचना संख्या–1646/का–4–98–49/79, दिनांक 7 फरवरी, 1991 के प्रस्तर 4 के बिन्दु 1 तथा 2 के प्राविधानों के अंर्तगत प्रदेश मे कार्यरत तीन वर्ष का नियमित एवं संतोष जनक सरकारी सेवा पूर्ण कर लेने वाली उपचारिकाओं को तत्कालिक प्रभाव से स्थायी घोषित किया जाता है।

अतः नियंत्रक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती हैं कि उपरोक्तानुसार उपयुक्तता की श्रेणी में आने वाली उपचारिकाओं की सेवा पुस्तिका आदि मे स्थायी करण की प्रविष्टि अंकित करते हुए सम्बंधित उपचारिकाओं को संसूचित करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन किया जाय।

भवदीय,

(बी0एस0 अरोड़ा)
निदेशक (चिकित्सा उपचार)